


65/2018

26/8/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय में तीन बार अलग अलग समय में वकील व वादी को आवाजें दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादी में से कोई हाजिर नहीं हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि वकील वादी वाद को आगे चलना नहीं चाहते हैं। लिहाजा वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवाना

